न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 27/2025

GCMS Case No. : 2025/143

प्रार्थीया –

उर्मिला टांक पत्नी राजेश टांक निवासी सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. चौलाराम पुत्र रावतराम के वारिसान –
   - 1/1 गणपत पुत्र चौलाराम
   - 1/2 प्रकाश पुत्र चौलाराम
   - 1/3 महेन्द्र पुत्र चौलाराम
   - 1/4 कैलाश पुत्र चौलाराम
   - 1/5 केसरी पत्नी चौलाराम
2. चन्द्राराम पुत्र रावतराम के वारिसान –
   - 2/1 मदन पुत्र चन्द्राराम
   - 2/2 दयालराम पुत्र चन्द्राराम
   - 2/3 गुणेशराम पुत्र चन्द्राराम
   - 2/4 लक्ष्मी पुत्री चन्द्राराम
   - 2/5 शान्ति पुत्री चन्द्राराम
   - 2/6 नौजाई पत्नी चन्द्राराम
   - 2/7 प्यारेलाल पुत्र मदनलाल
   - 2/8 नौरत पुत्र मदनलाल
   - 2/9 रूकमा पुत्र मदनलाल
   - 2/10 कौशल्या पुत्री मदनलाल
   - 2/11 सुनिता पुत्री मदनलाल
   - 2/12 ललिता पुत्री मदनलाल
   - 2/13 कैलम पत्नी मदनलाल
3. नैनाराम पुत्र रामाराम के वारिसान
   - 3/1 श्रवण पुत्र नैनाराम
   - 3/2 शारदा पुत्री नैनाराम
   - 3/3 श्याम पुत्र बाबुलाल
   - 3/4 माणक पुत्र बाबुलाल
   - 3/5 जवरी पुत्र बाबुलाल
   - 3/6 मीरा पुत्री विरमराम
   - 3/7 मंजू पुत्री विरमराम
   - 3/8 लक्ष्मी पत्नी विरमराम
   - 3/9 भाणाराम पुत्र विरमराम
   - 3/10 प्रकाश पुत्र विरमराम
   - 3/11 राकेश पुत्र विरमराम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

3/12 गुडीया पुत्री विरमराम
3/13 सुशीला पुत्री विरमराम
3/14 पुजा पुत्री विरमराम

4. भंवरराम पुत्र मंगलाराम के वारिसान –
4/1 कमली पुत्री भंवरलाल
4/2 हापुराम पुत्र भंवरलाल
4/3 बालुराम पुत्र भंवरलाल
जतिगण बावरी निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।
5. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राज.

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970"

उपस्थित :–

1. प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मीचन्द देवासी।
2. अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–:: आदेश ::–

दिनांक : 29/10/2025

प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा आदेश दिनांक 24.07.1980 द्वारा चन्द्रा, चोला पुत्र रावतराम, भंवरा पुत्र मंगला, नेना पुत्र रामा के नाम ग्राम चंण्डावल के खसरा संख्या 1720/2597 रकबा 0.2600 हैक्टेयर के आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत् पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा चण्डावल में प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1731, 1721/2984, 2980/1715 आयी हुई है। प्रार्थीया की उक्त भूमि चण्डावल नगर से चण्डावल स्टेशन जाने वाले आम रास्ते पर स्थित है। प्रार्थीया की कृषि भूमि के चिपते ही आम रास्ता की भूमि डामर सड़क 1613 आयी हुई है, जो गैर मुमकिन रास्ता है, जिसके पुराने खसरा संख्या 1613, 1930 मी. दोनों आम रास्ता का ही भाग है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2019 के अनुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। खसरा संख्या 1930 मी. के नये नम्बर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1720/2597 बने जो भू–प्रबंध विभाग के खसरा पत्रक के अनुसार सम्वत् 2030 में बने थे। आवंटन कमेटी ने रास्ते की भूमि को बारानी भूमि अंकित करते हुये नियमों के विपरीत आवंटित कर दी। नैनाराम ने आवंटन कमेटी के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया और अपने आप को भूमिहीन बताया। अधीनस्थ न्यायालय ने गैर मुमकिन रास्ते की भूमि को छोटी पट्टी बताकर विधिविरूद्ध तरीके से आवंटन किया। जैर आराजी पर अप्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा। वर्तमान में अप्रार्थीगण मौके पर आकर प्रार्थीया की भूमि के आगे कब्जा करने लगे तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाते हुये जैर आवंटन आदेश को निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि प्रश्नगत आवंटन आदेश के जरिये आवंटन कमेटी ने अप्रार्थी के पक्ष में रास्ते की भूमि का आवंटन किया था, राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत रास्ते की भूमि का आंवटन नहीं किया जा सकता। आवंटन कमेटी ने प्रतिबंधित भूमि का अप्रार्थी के पक्ष में प्रश्नगत आवंटन आदेश जारी किया है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीया की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जैर प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा आदेश दिनांक 24.07.1980 द्वारा चन्द्रा, चोला पुत्र रावतराम, भंवरा पुत्र मंगला, नेना पुत्र रामा के नाम ग्राम चंण्डावल के खसरा संख्या 1720/2597 रकबा 0.2600 हैक्टेयर के आवंटन आदेश को निरस्त कराने बाबत् पेश किया है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि आवंटन कमेटी ने रास्ते की भूमि अप्रार्थी को आवंटन कर दिया जबकि रास्ते की भूमि नियमानुसार आवंटित नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाते है कि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा खसरा संख्या 1720/2957 रकबा 0.2600 हैक्टेयर किस्म बां. 2 का आवंटन किया गया। भू–प्रबन्ध के मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2033 के अनुसार खसरा संख्या 1720/2957 का पुराना खसरा संख्या 1930मी. है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2019 के अनुसार खसरा संख्या 1930मी. की किस्म गै.मु.रास्ता है। द्वितीय सैटलमेंट सम्वत् 2033 के अनुसार खसरा संख्या 1930मी. में से बने नया खसरा संख्या 1720/2957 की किस्म बारानी दोयम अंकित की गयी जबकि पूर्व में यही भूमि गै.मु.रास्ते के रूप में अंकित थी। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत के प्रकरण संख्या 223/2025 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2025 के द्वारा खसरा संख्या 1720/2957 को सैटलमेंट के दौरान गै.मु.रास्ते का ही भाग मानकर उक्त खसरे की किस्म बारानी दोयम के स्थान गै.मु.रास्ता किये जाने के आदेश प्रदान किये है, जिसकी पालना में

अति. जिला कलक्टर, पाली

ग्राम चण्डावल की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2076 के अनुसार खसरा संख्या 1720/2957 की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि वक्त सैटलमेन्ट खसरा संख्या 1720/2957 की किस्म परिवर्तन कर बारानी दोयम अंकित की गई, जबकि वह गै.मु.रास्ता का ही भाग था।

आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वजों को रास्ते की भूमि का आवंटन किया गया, जो कि राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 के तहत आवंटन के लिये प्रतिबंधित थी। रास्ता एक सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा नियम 4 के अनुसार ऐसी भूमि का किसी व्यक्ति के नाम आवंटन वैधानिक रूप से निषिद्ध हैं। आवंटन कमेटी ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2002 (1) Raj 345 Rameshwar Lal vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार रास्ते की भूमि का किसी व्यक्ति को आवंटन किया जाना कानून के विरूद्ध है, ऐसी भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित होती है और किसी भी प्रकार से निजी उपयोग के लिए हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2005(3) WLC (Raj) 531 में यह प्रतिपादित किया कि यदि रास्ता या नाली भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है, तो उसका किसी व्यक्ति को आवंटन शून्य माना जाएगा, भले ही आवंटन आदेश पारित हो चुका हो। इसी तरह अन्य न्यायिक दृष्टान्त AIR 2000 Raj 185 राजस्थान सरकार बनाम नागरिक उपभोक्त मंच मे यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि का संरक्षण राज्य का दायित्व है। ऐसी भूमि का कोई भी निजी आवंटन संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के विपरीत है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि सम्बन्धित भूमि रास्ते की भूमि का भाग है, जो सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित श्रेणी की भूमि है। ऐसी भूमि का किसी व्यक्ति के पक्ष में आंवटन करना न केवल राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम, 1970 का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक हित के प्रतिकूल भी है। अतः यह आवंटन ओदश विधि के प्रतिकूल, अधिकार क्षेत्र से परे एवं प्रारम्भ से ही शून्य है, जिसे निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है तथा आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी आवंटन आदेश दिनांक 24.07.1980, जो चन्द्रा, चोला पुत्र रावतराम, भंवरा पुत्र मंगला, नेना पुत्र रामा के पक्ष में ग्राम चण्डावल के खसरा संख्या 1720/2597 रकबा 0.2600 हैक्टेयर के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सोजत प्रश्नगत आराजी का कब्जा बहक राज प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर पालना प्रस्तुत करें। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली